

**ग्राम पंचायत मंगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं
निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

- 1 (क) प्रस्तावना:—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मंगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष चन्द	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती सन्तोष कुमारी	23.01.16 से 31.03.16

सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती रेणु वाला	01.04.13 से 22.07.14
2	श्री अनिल कुमार	23.07.14 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत मंगवाल के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का सार	₹ लाखों में
1	6	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.29
2	9	अनुदानों का उपयोग न करना	6.99
3	10	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	4.17

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत मंगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 02.09.2016 से 12.09.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 9/13, 1/15, 9/15 व 10/13, 12/14, 1/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत मंगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 147 दिनांक 12.09.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मंगवाल से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत मंगवाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:—

(1) स्व स्रोत:— ग्राम पंचायत मंगवाल के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्व:स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	64751	23852	88603	18864	69739
2014—15	69739	59546	129285	30894	98391
2015—16	98391	15045	113436	78907	34529

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत मंगवाल के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	428114	1231787	1659901	1326876	333025
2014-15	333025	1158329	1491354	1298615	192739
2015-16	192739	2553746	2746485	2047685	698800
दिनांक 31.3.2016 को स्व:स्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)					₹733329

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रमांक	निधि का नाम	इन्दौरा स्थित KCCB खाता सं०	राशि
1	स्व:स्त्रोत	20076007113	34529
2	MPLAD	50059507204	34427
3	VKVNY	50059507215	81766
4	MNREGA	20076007555	0
5	IAV	50055765328	1032
6	MMWGY	50061833235	8037
7	Royalty & Mining	50062577018	9968
8	TSC/NBA	50059507259	111146
9	3 rd Fin	20076007113	418620
10	13वां Fin	429437	10817
11	13वां वित्त ZP		
12	IWS	1175948254 (SBI Gangath)	22987
योग			₹733329

(1) अन्तशेष का विवरण:-

(क)	दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार शेष	₹733329
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	₹733329

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्रोत माने जाएंगे और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता—क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम—3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता—ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता—क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 खाता "ख" में अर्जित ₹0.29 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्नविवरणानुसार राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	वर्ष			कुल ब्याज (₹)
	2013—14	2014—15	2015—16	
20076007555	5724	715	—	6439
50055765328	164	1104	1032	2300
11752948254	3250	3200	1584	8034
50059507204	—	2085	2340	4425
50059507259	—	7	3139	3146
50059507215	—	—	1766	1766
50061833235	—	—	3174	3174

7 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को तैयार न करने बारे:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे:—

अंकेक्षण के दौरान जांच में स्वः स्त्रोत जैसे कि गृह कर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 अनुदान ₹6.99 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹698800 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्य हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु

सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.17 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹417280 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 सभा निधि (SDP) से ₹4500 के अनियमित भुगतान बारे:—

वाऊचर संख्या 4 दिनांक 8.7.13 के अन्तर्गत मस्ट्रोल के लिए ₹52020 का भुगतान SDP निधि से किया गया। अभिलेख की जांच में पाया गया कि मस्ट्रोल में क्रमांक 1 व 2 पर अंकित मजदूरों की हाजरी दिनांक 11.5.13 से शुरू (पहली हाजरी) की गई है जबकि क्रमांक 3 से 8 तक लगाए गए मजदूरों की हाजरी 5-3-2013 से शुरू की गई है। इस प्रकार प्रत्येक मजदूर की 5 दिन की हाजरी अनियमित/अनुचित प्रतीत होती है। अतः कुल $(6 \times 5 \times 150) = ₹4500$ का अनियमित भुगतान मजदूरों को किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेख

का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

13 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹5.71 लाख के कार्य का निष्पादन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक संकर्म के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹571020 का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः निर्माण कार्य का निष्पादन नियमानुसार न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार सहभागी समिति का गठन कर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 33/2016-खण्ड-1-6550-6553 दिनांक: 16.12.2016
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत मंगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

ग्राम पंचायत मंगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना
स्टॉक स्टोर का क्रय करना

(परिशिष्ट-2) (पैरा 10 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0 / दिनांक	विवरण	राशि
1	मनरेगा	5 / 29.6.13	श्री अशोक कुमार को पत्थर की आपूर्ति हेतु भुगतान	39200
2	मनरेगा	25 / 3.10.13	श्री विजय कुमार को रेत, बजरी आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	142580
3	सभा निधि SDP	11 / 27.9.13	—यथोपरि—	54000
4	सभा निधि	18 / 7.10.15	श्री शिव शंकर ट्रेडिंग कम्पनी को inter Lock टाईलों की सप्लाई का भुगतान	66000
5	सभा निधि	17 / 7.10.15	—यथोपरि—	55000
6	सभा निधि	23 / 30.10.15	—यथोपरि—	60500
				₹417280

ग्राम पंचायत मंगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन का विवरण

(परिशिष्ट-3) (पैरा 13 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	अनुमानित राशि
1	मनरेगा	निर्माण रास्ता सड़क से पुरशोत्तम के घर तक	154020
2	मनरेगा	निर्माण सुरक्षा दीवार बलवन्त सिंह S/o श्री रघुनाथ की जमीन में	180000
3	मनरेगा	निर्माण सुरक्षा दीवार भूमि कटाव रोकने हेतु अम्बेदकर भवन मंगवाल	237000
		योग	₹571020